(624)

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग।
सं0सं0– 4/निदे0एस0सी0ए0–01–01/2013–1271।

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सभी उप विकास आयुक्त
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी

पटना, दिनांक– 05/06/2013

विषयः–अनुसूचित जाति उप योजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत स्व–रोजगार योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन।

महाशय,

अनुसूचित जाति उप योजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत अनु0जाति के व्यक्तियों के स्व–रोजगार हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन जिलों के माध्यम से कराया जाता है।

2– विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के मूल उदेश्य परिवारोन्मुखी आय – उत्पादक योजना का चयन कर गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों (शहरी निवासी सहित) का आय वृद्धि करना है ताकि वे गरीबी रेखा से उपर उठ सकें। योजनाओं का चयन व्यक्तिगत एवं क्लस्टर (समूह) रूप में की जा सकती है अनुदान क़ी राशि प्रति व्यक्ति योजना लागत का पचास प्रतिशत या अधिकतम ₹10,000/– (दस हजार रू0) जो भी कम हो उपलब्ध कराई जा सकती है।

3– अनुसूचित जाति के युवको/युवतियों में उद्यमिता विकास के प्रयोजनार्थ उपयोगी क्षेत्रों तथा चर्मकार्य, फुड प्रोसेसिंग, कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, ग्रामीण लघु उद्योग, लघु सिंचाई, भुमि सुधार हौर्टीकल्चर, हैन्डलूम, पावरलूम, व्यवसायिक एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण, सहकारिता समुहों के निर्माण इत्यादि योजना अंतर्गत लाभ देने का प्रावधान है।

4– मुख्य रूप से अनुदान की योजनाओं का कार्यान्वयन बैंको द्वारा स्वीकृत ऋण के विरूद्ध Back ended अनुदान उपलब्ध कराते हुए किया जाता है। परन्तु बैंको के असहयोग के कारण इस योजना के तहत् अनुदान की राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है एवं इस योजना का लाभ ले पाने में अनुसूचित जाति के सदस्य सफल नहीं हो पा रहे हैं । इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु निम्नांकित दिशा–निदेश दिये जाते हैं :–

संयुक्त देयता समूह के लिए :

5– नाबार्ड के दिशा–निदेश (प्रतिलिपि संलग्न) के आलोक में **संयुक्त देयता समूह** का निर्माण कर स्वरोजगार सृजन किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक परिवारो को लाभ मिल सके। इस योजना के लाभाथियों को लाभ पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), विभिन्न बैंकों तथा गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं की परस्पर भागीदारी से सम्भव है।

पंचायत स्तर/नगर निकाय स्तर पर बिहार महादलित मिशन के द्वारा विकास मित्रों की सेवा प्रदत्त है। इस कार्य में विकास मित्र का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है।

(क) कार्यक्रम सहभागी

i–राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, बिहार, पटना।

ii–बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना।

iii–राष्ट्रीयकृत बैंकों /राष्ट्रीयकृत बैंकों के तहत् ग्रामीण बैंक

iv–नाबार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंको के अधिकृत स्वयं सेवी संस्थान।

(ख)– कार्य क्षेत्र

इस योजना के तहत् अनु0जाति के लाभार्थी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से हो सकते हैं।

(ग)– सहभागियों की भूमिका

(i) **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक**– राज्य, जिला , विभाग, बैंकों एवं नाबार्ड द्वारा अधिकृत गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना तथा संयुक्त देयता समुह निर्माण करने वाले संगठनों को वित्तीय एवं तकनीकि सहायता अपने, संयुक्त देयता समुह के दिशा–निदेश के अनुसार निर्वहन किया जायेगा।

(ii)**बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार,, पटना** – कार्यक्रम का मुल्याकंन एवं अनुश्रवण के साथ राज्य एवं जिला स्तर पर सभी सहभागियों से संवाद एवं समन्वय स्थापित करते हुए योजना को प्रारंभ कराना एवं अनुदान की राशि जिला कंल्याण पदाधिकारियों को सूचना के साथ संबंधित बैंकों को विमुक्त किया जायेगा।

(iii) **नाबार्ड के अधिकृत गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्था**– संयुक्त देयता समुहो के लिए खाता खुलवाना, बैक के साथ समन्वय, ऋण हेतु आवश्यक कागजात तैयार करने में मदद करना, ऋण वापसी के लिए वातावरण तैयार करना, समुहों के कियाकलापों का अनुश्रवण करना । के0वाई0सी0 नियम के तहत् आवेदन बैकों को समर्पित करना। बैंको तथा बिहार महादलित विकास मिशन को तदनुसार सूचनायें समर्पित किया जायेगा।

(iv) **राष्ट्रीयकृत बैंकों /राष्ट्रीयकृत बैंकों के तहत् ग्रामीण बैंक** – राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के दिशा–निदेशों के आलोक में पात्रता रखनेवाले संयुक्त देयता समुहों को

ऋण मुहैया कराना, गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं को तकनीकि एवं अन्य सहयोग प्रदान करना। ऋण स्वीकृति की सूचना नाबार्ड एवं बिहार महादलित विकास मिशन को उपलब्ध कराना। अनुदान की मांग बिहार महादलित विकास मिशन से किया जायेगा।

घ– संयुक्त देयता समुह की संरचना

i–समुह के सदस्य अनुसूचित जाति के समुदाय से होगे एंव गरीबी रेखा के नीचे की सूची में सम्मिलित होंगे।

ii–प्रत्येक समुह में कम से कम 4 से 5 सदस्य ही रहेंगे।

iii–वैसे व्यक्ति जो ऋण डिफोल्टर हैं, समुह के सदस्य नहीं हो सकेंगे।

iv–प्रत्येक समुह में एक परिवार से एक ही व्यकित मान्य होंगे।

ड– प्रशिक्षण

इस कार्यक्रम को सफल संचालन के लिए राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर संबंधित एजेंन्सी सदस्यों एवं सबंधितों को नाबार्ड द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

6– व्यक्तिक ऋण एवं अनुदान–

(क) कार्यक्रम सहभागी

i–राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, बिहार, पटना।

ii–बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना।

iii–राष्ट्रीयकृत बैंकों /राष्ट्रीयकृत बैंकों के तहत् ग्रामीण बैंक

iv–नाबार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंको के अधिकृत स्वयं सेवी संस्थान।

(ख)– कार्य क्षेत्र

इस योजना के तहत् अनु0जाति के लाभार्थी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से हो सकते हैं।

(ग)– लाभूक की पात्रता–

लाभूक बिहार राज्य के अनु0जाति के होंगे तथा गरीबी रेखा के नीचे के सूची में होंगे।

(ग)– आवेदन स्वीकृति की प्रकिया

(i) आवेदन पत्र विकास मित्रों के माध्यम से बैंक द्वारा अधिकृत गैर सरकरी स्वयं सेवी संस्था को समर्पित किया जा सकता है। गैर सरकरी स्वयं सेवी संस्था द्वारा उक्त आवेदनों को बिहार महादलित विकास मिशन को प्रेषित करेंगे।

(6) 59

(ii) बैंक द्वारा अधिकृत गैर सरकरी स्वयं सेवी संस्था द्वारा आवेदन लाभूकों से प्राप्त कर सीधे बिहार महादलित विकास मिशन को प्रेषित कर सकते है।

(iii) बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा प्राप्त आवेदनों को संबंधित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय या मंडलीय कार्यालय को भेजा जायेगा।

(iv) बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय या मंडलीय कार्यालय द्वारा आवेदनों की स्वीकृति देते हुए संबंधित शाखा को भेजेंगे।

(v) बैंक के द्वारा ऋण की राशि विमुक्त करने के पश्चात Back ended अनुदान के लिए बिहार महादलित विकास मिशन से मांग करेंगे। मांग के आलोक में बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा RTGS के माध्यम से सीधे बैंक को राशि विमुक्त की जायेगी।

7– कार्यक्रम की स्थिरता

गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार विकास मित्रों के सहयोग से प्रत्येक पंचायत/नगर निकाय में कम से कम 5–6 संयुक्त देयता समुहों के लिए सदस्यों के चयन करेंगे। प्रत्येक माह में जिला कल्याण पदाधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक, जिला विकास प्रबंधक (नाबार्ड),संयुक्त देयता समुह बनानेवाले संस्था के प्रतिनिधिगण नियमित मासिक बैठक करेंगे।

इस आलोक में पूर्व के निदेश यथा संशोधित समझे जायेंगे।

इसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।
5/6/13

ज्ञापांक–4/निदे०एस०सी०ए०-01-01/13-1271 पटना,15 दिनांक– 5/06/13

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
5/6/13

ज्ञापांक–4/निदे०एस०सी०ए०-01-01/13-1271 पटना,15 दिनांक– 05/06/13

प्रतिलिपि– मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,पटना/संयोजक, एस0एल0बी0सी0, पटना/सहायक महाप्रबंधक,आर0पी0सी0डी0(आर0आर0बी0), भारतीय रिजर्व बैंक,बिहार,पटना/अध्यक्ष, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, बिहार, पटना/अध्यक्ष, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर, बिहार/अध्यक्ष, बिहार क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, बेगूसराय, बिहार/ सभी जिला विकास प्रबंधक (नाबार्ड), सभी राष्ट्रीयकृत बैक के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
5/6/13